through the tubewell, conforms to tne standards laid down.

Unauthorised construction in Government quarter of Babar Place

3653. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the complaints received regarding unauthorised constructions made in Government quarters in New Delhi especially in Babar Place, New Delhi during the last six

दिल्ली में रेयजल की आपूर्ति

3654. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कारध्यान 4 अप्रैल, 1998 के दैनिक समाचार-पत्र "दि पायनियर" में प्रकाशित समाचार "पूअर क्वालिटी वाटर इन डेलही सिन्स 90 सी.ए.जी. की ओर दिलग्या गया है;

(ख) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली में आम आदमी को उषलब्ध कराया जा रहा पानी न केवल अपर्याप्त है अपितु दूषुत भी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मामले पर विचार करने के उपरांत कोई तत्काल कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्च मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि दिल्ली में पीने के पानी 800 मिलियन गैलन प्रतिदिन की मांग की तुलना में प्रतिदिन लगभग 600 मिलियन गैलन पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार करीब 200 मिलियन गैलन प्रतिदिन की कमी है। तथापि बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पीने योग्य, साफ तथा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।

पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

(i) यमुना नदी के पानी के बंटवारे के लिए लंबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच एक अंत: राज्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) नांगलोई में 40 एम जी डी जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

(iii) बवाना में 20 एम जी डी जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

(iv) लाइनों की क्षति को रोकने के लिए मुनाक ने हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक समानांतर लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(v) बकारवाला में 100 एम जी डी जल शोधन संयंत्र का निर्माण का प्रस्ताव है।

(vi) मुना पार क्षेत्र के लोनिया विहार में 140 एम जी डी जल शोधन संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव है।

(vii) पीने के पानी के नमान वितरण के लिए वितरण प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का कार्य आरंभ किया गया है।

(viii) दिल्ली वासियों को सप्लाई किए जा रहे पीने के पानी की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए पानी के 250-800 नमूने प्रतिदिन लेकर प्रयोगशालाओं में उनकी जांच की जाती है।

राजधानियों में झुग्गियों में रहने वाली आबादी

3655. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रांतों का राजधानियों में कुल कितने प्रतिशत आबादी झुग्गियों में रहती है;

(ख) झुग्गियों में रहने वाली कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोगों को बुनियादी सुवुधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इनका शहर-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दतात्रेय): (क) 1991 की जनगणना के आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) के अनुभागों के अनुसार विभिन्न राज्यों की राजधानियों की 28% जनसख्या स्लम में रह रही है।

(ख) 1997-98 के दौरान एनवायरमेन्टल इम्प्रूवमेंट आफ अर्बन स्लम्स (ई.आई.यू.एस.) स्कीम के अन्तर्गत 13.15 लाख स्लम वासियों को अपने रहन-सहन की

स्थिति में सुधार के लिए बुनियादी नगरीय मुख्य सुनिधाएं उपलब्ध कराई गई, जबकि लक्ष्य 11.90 लाख स्लम निवासियों का था। ये आंकड़े पूरे देश से सम्बन्धित हैं।

(घ) मंत्रालय में शहर-वार सूचना नहीं रखी जाती क्योंकि इस स्कीम को राज्य स्तर पर मानीटर किया जाता है। ई.आई.यू.एस. स्कीम के अन्तर्गत 1997-98 के दौरान लाभान्वित स्लम निवासियों के राज्यवार बेयौरे संलग्र विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

यूनिट सं.

क्र. सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य 1997-98	उपलब्धि 1997-98	प्रतिशत उपलब्धि
1	आन्ध्र प्रदेश	142898	217697	1524
2	असम	7008	6549	94
3	बिहार	18000	2350	15
4	दिल्ली	50000	52025	104
5	गोवा	150	0	0
6	गुजरात	75000	117355	156
7	हरियाणा	99625	74589	75
8	हिमाचल प्रदेश	17500	23748	136
9	जम्मू और काशमीर	70000	5213	7
10	कर्णाटक	70000	68087	97
11	केरल	15000	13078	87
12	मध्य प्रदेश	116232	199751	172
13	महाराष्ट्र	341230	292190	86
14	मणिपुर	6250	0	0
15	मेघालय	3750	3750	100
16	मिजोरम	1875	1000	53
17	उड़ीसा	10000	11500	115
18	पांडिचेरी	6500	6552	101
19	पंजाब	12500	569	5
20	राजस्थान	40000	54414	136
21	सिक्किम	1500	1500	100
22	तमिलनाडु	13500	17903	133
23	त्रिपुरा	15000	15000	100
24	उत्तर प्रदेश	156000	85270	55
25	प. बंगाल	30600	44969	147
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	400	400	100
	कुल जोड़	1189898	1315459	111

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न टाइप के फ़्लैटों के लिए एकमुश्त भुगतान

3656. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) और जनता फ्लैटों के लिए एकमुश्त भुगतान कुल लागत का पचास प्रतिशत और एस.एफ.एस. फ्लैटों के लिए कुल लागत का वब्बे प्रतिशत निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्णय के बाद ये फ्लैट आम आदमी की पहूंच से बाहर हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय पर शीघ्र विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी.डी.ए. ने सुचित किया है कि:

(I) किराया खरीद आधार पर मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणी के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के मामलों में आबंटी को भूमि की लागत+निर्माण लागत का 30% आरंभिक जमा के रूप में देना होता है। फ्लैट की शेष लागत बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाती है।

(II) स्व. वित्त पोषित स्कीम (एस.एफ.एस.) फ्लैटों के मामले में आबंटियों को अनुमानित लागत का 90% चार छमाही किश्तों में निम्नलिखित लारणी के अनुसार देना होता है।

(1) 25% (प्रारंभिक जमा के रूप में दी गई राशि सहित) आबंटन के समय

(2) 20% अगले छः माह बाद

(3) 25% अगले छः माह बाद

(4) 20% अगले छः माह बाद

(5) शेष 10% वृद्धि सहित, यदि हो, कब्जा लेते समय।

तथापि, किसी पाकेट में निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार उस पाकेटों के सफल आवेदकों को निर्माण कार्य की स्थिति के आधार पर छमाही किस्तों की दो या तीन या चार किश्ते एक साथ जमा करने के लिए कहा जाता है।

(III) स्वक्तिपोषण स्कीम (एस.एफ.एस.) के तहत तैयार फ्लैटों को देते समय ड्रा हो जाने के बाद पूरी निपटान कीमत मांगी जाती है।

(ख) जी, नहीं;